Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

सुनील कुमार बनाम बसन्त कुमार व अन्य

किस्म मुकदमा – दीवानी वाद नम्बर 72 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02-02-023	वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत आदेश 08 नियम 9 व्य प्र सं. दिनांकित 10.10.2014 का निस्तारण किया जा रहा है। बहस उभयपक्ष सुनी गई, प्रस्तुत जवाबुल जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी के प्रार्थना-पत्र दिनांकित 10.10.2014 में मुख्यतः कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे का जवाबुल-जवाब रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन करते हुऐ कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में मद सं. 1 से 5 व 7 व 11 में अस्पष्ट व नवीन व निराधार तथ्यों का अंकन किया गया है, जिनका जवाबुल जवाब के माध्यम से खण्डन किया जाना अत्यावश्यक है। अतः प्रार्थना-पत्र के संलग्न जवाबुल जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जावें। उक्त का विरोध अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुऐ किया गया है कि प्रतिवादी ने अपने प्रतिवादपत्र में क्या-क्या नवीन तथ्य अंकित किये का अंकन नहीं है व वादी की ओर से जो संलग्न जवाबुल जवाब पेश किया है वह प्रतिवादपत्र के संबंध में साक्ष्य, उपधारण व स्पष्टीकरण मात्र है, जो अभिवचन नहीं है एवं ना ही जवाबुल जवाब की परिधी में आते है व वादी द्वारा संलग्न जवाबुल जवाब में नवीन कथन अंकित किये है जो वादी के अभिवचनों में नहीं थे ऐसे में कथनों का खण्डन करने का कोई अवसर प्रतिवादी को प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावें। तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 के जवाब दावे के अवलोकन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अपने जवाब दावे के माध्यम से नवीन तथ्य पेश किये गये हों, जिनका खण्डन किया जाना आवश्यक हो, वादी के वाद-पत्र का प्रत्युत्तर है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 के जवाब दावे के खण्डन स्वरूप प्रस्तुत जवाबुल जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत आदेश 08 नियम 9 व्य प्र सं. दिनांकित 10.10.2014 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –2–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	इसी प्रकार का प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना अंतर्गत आदेश 08 नियम 9 व्य प्र सं. दिनांकित 20.12.2012 का प्रस्तुत किया गया है जिसमें मुख्यतः कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा दिनांकित 7.9.22 में नये तथ्यों का अंकन किया गया है, यथा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रतिवादी सं. 1 का है, एवं मान उच्च न्यायालय में रिमाण्ड आदेश के विरूद्ध रिट प्रस्तुत की गई थी, किन्तु रिमाण्ड के पश्चात सुनवाई कर निर्णय कर दिया गया है इस कारण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट प्रभावहीन हो गई है व वादी एवं प्रतिवादी के मध्य इकरारनामा विधि के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित हुआ व राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 46 के प्रावधानों से विधवा की भूमि पर जमींदारी बिश्वेदारी के प्रावधान लागू नहीं होते आदि जिनका जवाबुल जवाब के माध्यम से खण्डन किया जाना अत्यावश्यक है। अतः प्रार्थना-पत्र के संलग्न जवाबुल जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जावें। उक्त का विरोध अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुऐ किया गया है कि प्रतिवादी सं. 2 ने अपने प्रतिवादपत्र के माध्यम से मात्र वादी के वाद-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया है एवं जो इंकारी की इंकारी की गई है तो वह जवाबुल जवाब की परिधि में नहीं आता। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के द्वारा पारित आदेश माननीय उच्च न्यायालय पर बाधित नहीं है व प्रस्तावित जवाबुलजवाब रिकॉर्ड पर लेने स्र प्रतिवादी सं. 2 के विधिक अधिकारों का हनन होगा व प्रतिवादपत्र का जवाब देने का हक अधिकार वादी को नहीं है व प्रतिवादी सं. 2 मालिक स्वामी व काबिज है, अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावें। तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद-पत्र व प्रतिवादी सं. 2 के जवाब दावे एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जवाबुल जवाब के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आता है कि प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपने प्रतिवाद-पत्र की चरण सं. 1,2,4 व 8 में जैसे तथ्य अंकित किये गये है, जिनका खण्डन किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत जवाबुल-जवाब को प्रतिवादी सं. 2 के जवाब दावे के खण्डन स्वरूप उक्त जवाबुल-जवाब को प्रतिवादी सं. 2 के जवाब दावे की मद सं. 1,2, 7 व 9 की हद तक न्यायहित में जवाबुल जवाब को रेकार्ड पर लिया जाता है। उक्तानुसार प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत आदेश 08 नियम 9 व्य प्र सं. दिनांकित 20.12.2022 स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 के क्रम में वादी की ओर से प्रस्तुत जवाबुल जवाब को रिकॉर्ड से हटाया जाकर पार्ट "डी" में रखा जाऐं। प्रकरण में तनकियात	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –3–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	कायम की जा चुकी है व जवाबुल जवाब को रेकॉर्ड पर लिने से कोई नवीन तनकी बनना नहीं पाई जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दि. ..... को पेश हों। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –4–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए